भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1689
उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

अटल वयो अभ्युदय योजना का क्रियान्वयन

1689. श्री करण भूषण सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत वृद्धजनों की देखभाल परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के माध्यम से पिछले दो वित्तीय वर्षों में राज्यवार कितनी निधि जुटाई गई है;

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों में निधि प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण क्या है;

(ग) वृद्ध लोगों की ओर से सीएसआर पैरवी करने हेतु पारदर्शी तंत्र के माध्यम से प्रतिष्ठित संस्थानों के चयन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीएसआर श्रेणी में आने वाली कंपनियों से संपर्क करने और उन्हें पहले से मूल्यांकित और वृद्धजनों की देखभाल से संबंधी लंबित परियोजनाओं के लिए निधि देने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु पैरवी वक्तव्य तैयार करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्त अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। आज तक एवीवाईएवाई के अंतर्गत वृद्धजनों की देखभाल संबंधी परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंडिंग के माध्यम से कोई निधि जुटाई नहीं गई है।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****